संख्या- 595/69-1-10-1427)/10

प्रेषक:

डा0 नवनीत सहगल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

82/C/S
24.5.2010

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 24 मई,2010:

विषय: <u>सूडा/डूडा में कार्यरत कर्मचारियों की सम्पत्तियों की घोषणा के संबंध में।</u>

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकारी कार्मचारी आचरण नियमावली,1956 के नियम–24 के अन्तर्गत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपनी चल, अचल तथा बहुमूल्य सम्पत्तियों की घोषणा किये जाने के संबंध में निम्न प्रावधान उल्लिखित किये गये हैं:–

<u>नियम–24(3)</u> प्रथम नियुक्ति के समय और तदुपरान्त हर पॉच वर्ष की अवधि बीतने पर, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उचित माध्यम से, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा, जिसका वह स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दाय के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो और ऐसे हिस्सों की या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय–समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गयी हो या अर्जित की गयी हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूँजियों के पूरे ब्योरे दिये जाने चाहिए।

<u>नियम–24(4)</u> समुचित प्राधिकारी, सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा, किसी भी समय, किसी सरकारी कर्मचारी को यह आदेश दे सकता है कि वह आज्ञा से निर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसी चल या अचल सम्पत्ति का, जो उसके पास या उसके परिवार के किसी सदस्य के पास रही हो या अर्जित की गयी हो, और जो आज्ञा में निर्दिष्ट हो, एक सम्पूर्ण विवरण पत्र प्रस्तुत करे। यदि समुचित प्राधिकारी ऐसी आज्ञा दे तो ऐसे विवरण पत्र में, उन साधनों के या स्रोत के ब्योरे भी सम्मिलित हों, जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गयी थी।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि सूडा/डूडा में कार्यरत कर्मचारियों (विभागीय/प्रतिनियुक्ति) द्वारा अपनी पूरी कार्यावधि में चल, अचल तथा बहुमूल्य सम्पत्तियों की घोषणा एक बार भी प्रस्तुत नहीं की गयी है, जो उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के उक्त प्रावधानों का खुला उल्लंघन है।

अतः उपर्युक्त प्रावधानों को संज्ञान में लाते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप सूडा/डूडा में अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत परियोजना अधिकारियो/सहायक परियोजना अधिकारियों तथा अधिशाषी/सहायक/अवर अभियन्ताओं से उनकी "सम्पत्तियों की घोषणा" संबंधी विवरण संलग्न प्रारूप पर दिनांक 31 मई, 2010 तक प्राप्त कर अपने अभिमत सहित शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 नवनीत सहगल)
सचिव

(ग)

[उन लोगों के लिये, जिनके कोई अंश (shares) या विनिधान (Investment) नहीं है :]

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैं किसी अंश या किसी अन्य विनिधान का स्वामी नहीं हूं। इसके पश्चात् यदि मैं कोई अंश अर्जित करता हूँ या अन्य विनिधान (Investment) करता हूँ तो मैं सम्बन्धित अवधि के लिये पंचवर्षीय घोषणा में उस तथ्य को घोषित करूंगा।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

दिनांक.....

(घ)

(उन व्यक्तियों के लिये जो अंशों के स्वामी हो या जिनके अन्य विनिधान हो)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरे निम्नलिखित अंश और विनिधान हैं :–

अंश (shares)

क्रम-संख्या	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक अंश का मूल्य	अंशों की संख्या	अंशों का कुल मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

विनिधान (Investments)

क्रम-संख्या	विवरण	विनिधान करने का दिनांक	मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5

यदि मैं और अंश अर्जित करता हूँ या अन्य विनिधान करता हूँ तो मैं सम्बन्धित अवधि के लिये पंचवर्षीय घोषणा में उस तथ्य को घोषित करूंगा।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

दिनांक.....

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3 सा०नियुक्ति–6.6.2006–(391)–1,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

घोषणा का प्रपत्र

(क)

(उन व्यक्तियों के लिये जो किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी न हों)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं हैं। यदि इसके पश्चात् मैं कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करूंगा तो मैं सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में उस तथ्य को घोषित करूंगा।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

दिनांक.....

(ख)

(उन व्यक्तियों के लिये जो अचल सम्पत्ति के स्वामी हों)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरे पास निम्नलिखित अचल सम्पत्ति हैं :–

भू-सम्पत्ति

भूमि जो स्थित है			क्षेत्रफल एकड़ों में	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित हो तो अर्जित करने का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	विशेष विवरण
जिला	तहसील	गांव					
1	2	3	4	5	6	7	8

गृह-सम्पत्ति

क्रम-संख्या	गृह में स्थित		गृह की सं०	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित हो तो अर्जित करने का दिनांक	क्या रहने के प्रयोजन के लिये काम में आता है या किराये पर उठाया गया है	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	विशेष विवरण
	ग्राम, कस्बा या नगर	जिला						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में और अचल सम्पत्ति अर्जित करूंगा तो मैं सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में उस तथ्य को घोषित करूंगा।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

दिनांक.....

अवधेय–अचल सम्पत्ति में बन्धक (Mortgage) या पट्टे पर रखे गये गृह या भू-सम्पत्तियां भी सम्मिलित हैं।

किसी अधिकारी की पत्नी या उसके परिवार के अन्य व्यक्ति द्वारा जो सम्मिलित परिवार में हो, या साथ में रहता हो, या किसी प्रकार उस पर आश्रित हों, रखी गई या उसकी ओर से प्रबन्ध की जाने वाली सम्पत्ति इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा स्वयं रखी गई तथा उसके द्वारा प्रबन्ध की गई, समझी जायगी।